

23-12-21

वकील प्रार्थी व APP उपारक्षित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्षों की कहल पर मनन किया गया। प्रार्थी गोबलेश शर्मा द्वारा वाहन पिकअप पंजीयन नं० यू.पी। 85/सीटी 1186 को थाना कामां जिला मलपुर द्वारा FIR NO 376/21 अन्तर्गत धारा 5/8 राजस्थान गौवंशीय (वध का प्रतिशोध और अत्यापी प्रवजन या निर्मात का विनिममन) 1995 के तहत जफ्त किया गया है। प्रार्थी का उक्त वाहन थाने पर लुपते में पड़ा होने से रक्बाव होने की पूरी संभावना है। न्यायालय में जो भी धार्ते लगायेगी प्रार्थी को मंजूर है। वाहा पिकअप यू.पी। 85/सीटी 1186 को लुपुङ्गी में पिये जाने की प्रार्थना की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र लुपुङ्गी पर और किया। थानाधिकारी थाना कामां की रिपोर्ट का अध्ययन किया। प्रकलण थाना कामां जिला मलपुर में FIR NO 376/21 अन्तर्गत धारा 5/8 राजस्थान गौवंशीय (वध का प्रतिशोध और अत्यापी प्रवजन का विनिममन) 1995 के तहत वाहन पिकअप

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	------------------------------------	--

लेख्या सूची 85/सीरी 1186 को जब्त किया गया है। प्रकण न्यायालय और कार है। ऐसी स्थिति में प्राची सुपुर्दगार 7 लाख रुपये के सुपुर्दना एवं 7 लाख रुपये का ही जमानतनामा इन शर्तों पर पेश करे कि वह वाहन को डाराने मुकदमा डीगर रहनयम मुन्नाफिल नही करेगा, रंग व सुरत कौण नही बदलेगा, न्यायालय द्वारा वाहन चाहे जोत्र पर स्थंभ के लचरे पर पेश करेगा तो जब्त वाहन फिकअप सूची 85/सीरी 1186 को प्राची सुपुर्दगार को सुपुर्दगी में दिया जावे।

प्राची सुपुर्दगार मुख्दार खास गोकलेश शर्मा पुत्र राममसुन्दर शर्मा उम्र 39 जाति ब्राह्मण निवासी नारमाल स्कूल परिकुमा मार्ग, गोवर्धन जिला मथुरा UP ने कांक्षित शर्तों का 7 लाख रुपये का सुपुर्दनामा पेश किया तथा जामिन प्रेमसिंह पुत्र किशन उम्र 71 वर्ष जाति जाटव निवासी गांव जाबोली तहसील गोवर्धन जिला मथुरा UP ने कांक्षित शर्तों का व कांक्षित शर्तों का जमानतनामा पेश किया। सुपुर्दनामा व जामिन की पहचान श्री सुभाष चन्द शर्मा एस० नं० की। सुपुर्दनामा एवं जमानतनामा का इतस्वीक शामिल किसे गये।

मत: थानाधिकारी थाना कामां जिला मरतपुर को इस आशय की केंफिमत जारी है कि प्रकण धारा 5/8 राजन्याय गौवेंशीय में सरकार वनाम गोकलेश शर्मा में जब्त वाहन फिकअप UP 85/सीरी 1186 किली अन्य प्रकण में कांक्षित (WANTED) ना होतो सुपुर्दगार मुख्दार खास गोकलेश शर्मा पुत्र राममसुन्दर शर्मा उम्र 39 जाति ब्राह्मण निवासी नारमाल स्कूल परिकुमा मार्ग गोवर्धन जिला मथुरा का सुपुर्दगी में दिया जावे। पमावली वाद कारवाही कांक्षित इमतर हो।

FIRM 6376/21
 ps. कामां
 कांफिल कोर्ट
 गई।
 2/11/22
 सुपुर्दगार
 दिनांक
 ₹ 654
 5-1-22

जिना कलकटा
 धातपुर सिमठ